



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 12.08.2025

**थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 175/25 धारा 125/292 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.08.2025 को उ0नि0 सौरभ कुमार तैनाती थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त राजकुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम राजोपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 02-08-2025 की रात्रि में उतावलापन व लापरवाही करते हुए गाव के ही अपने पडोसी सुरेन्द्र पुत्र शीसराम के मकान के गेट का फोटो लेकर उसमे 04 व्यक्तियों के डमी फोटो को एडिट कर दिया गया तथा उक्त फोटो को प्रसारित कर गांव मे चोरो के आने की भ्रामक व झूठी सूचना फैलाई गई जिससे ग्रामीणो मे अत्यधिक रोष व्याप्त है । इस संबंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 175/25 धारा 125/292 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही विवरण

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजकुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम राजोपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

### पूछताछ विवरण-

अभियुक्त राजकुमार ने पूछताछ पर बताया कि वह देहरादून स्थित जोमैटो कम्पनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत है तथा 27.07.2025 को गांव वापस आया था । उसने ग्रामीणो में झूठी चोरी की अफवाह फैलाने के उद्देश्य से यूट्यूब से सीखकर अपने मोबाइल फोन में एक एप्प डाउनलोड किया तथा किसी अन्य वीडियो से 04 व्यक्तियों के डमी फोटो को एडिट कर अपने पडोसी सुरेन्द्र सिंह उपरोक्त के घर के गेट की रात्री के समय खींचे गए फोटो मे लगा दिये थे ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –


अभियुक्त राजकुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम राजोपुर सादात थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

### अभियुक्त राजकुमार का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 175/25 धारा 125/292 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी कपिल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ।



**Edited photo**



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 12.08.2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 302/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित  
04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.08.2025 को वादी ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.यामीन, 2.हबीब, 3.तोफिक पुत्रगण जुम्मा खां व 4.गुलफाम पुत्र हबीब निवासीगण बक्शनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी, वादी के भाई एवं वादी के पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 302/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 302/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही विवरण-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.यामीन, 2.हबीब, 3.तोफिक पुत्रगण जुम्मा खां व 4.गुलफाम पुत्र हबीब निवासीगण बक्शनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर को धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.यामीन पुत्र जुम्मा खां निवासी बक्शनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.हबीब पुत्र जुम्मा खां निवासी बक्शनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.तोफिक पुत्र जुम्मा खां निवासी बक्शनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.गुलफाम पुत्र हबीब निवासी बक्शनपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री ब्रजकिशोर शर्मा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी संजय कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 12.08.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 444/25 धारा 25/30 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही विवरण

थाना चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त रविन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम शेखपुरी चौहड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को बिना लाइसेन्स प्रपत्र के एक लाइसेन्सी राइफल (नं0 973962) 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर मय मैंगजीन नं0 AB973962 सहित गिरफ्तार किया गया । जांच करने पर उपरोक्त राइफल का लाइसेन्स धारक धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम भोगपुर थाना चान्दपुर जनपद बिजनौर पाया गया ।



। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 444/25 धारा 25/30 आयुध अधिनियम बनाम रविन्द्र सिंह व धर्मेन्द्र सिंह उपरोक्त पंजीकृत किया गया अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रविन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम शेखपुरी चौहड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण-

एक लाइसेन्सी राइफल (नं0 973962) 315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर मय मैंगजीन नं0 AB973962

### अभियुक्त रविन्द्र सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 294/18 धारा 147/148/307/452/323 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

2. मु0अ0सं0 444/25 धारा 25/30 आयुध अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री हिमांशु पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्री मदनपाल राणा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी अरुणेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी रजनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक - 12.08.2025

**वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.08.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 17 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	हीमपुर दीपा	चन्द्रे पुत्र घसीटा निवासी ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
2	हीमपुर दीपा	विकासदीप पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम अजुपुरा जट थाना हीमपुरदीपा जनपद बिजनौर ।
3	नूरपुर	चन्द्रपाल सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम छजुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4	नूरपुर	विजय सिंह पुत्र बलवीर सिंह निवासी ग्राम छजुपुरा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5	नांगल	विनीत पुत्र सुशील निवासी लालपुर मान थाना नांगल जनपद बिजनौर ।
6	नगीना देहात	सन्तोष पुत्र प्रकाश सिंह निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
7	नगीना देहात	राजवीर पुत्र घसीटा निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
8	नगीना देहात	अनिल कुमार पुत्र सुरजभान निवासी ग्राम हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
9	नगीना देहात	कमल पुत्र घिस्सा सिंह निवासी ग्राम हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
10	नगीना देहात	फत्तू पुत्र केशरी ग्राम हीमपुर पछातपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
11	नगीना देहात	नन्दराम पुत्र मक्खन सिंह ग्राम हीमपुर पछातपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
12	नगीना देहात	जोगा पुत्र राकेश ग्राम हीमपुर पछातपुरा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
13	नगीना देहात	काले पुत्र कृपाल निवासीगण ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जिला बिजनौर
14	नगीना देहात	नरेश पुत्र कृपाल सिंह निवासीगण ग्राम कोटकादर थाना नगीना देहात जिला बिजनौर
15	नगीना देहात	धर्मपाल पुत्र सुम्मेर नट निवासी ग्राम जोगीरम्पुरी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
16	नगीना देहात	राजेन्द्र पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम टाण्डामाईदास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
17	नगीना देहात	कन्हैया पुत्र रेवती निवासी ग्राम लालवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 12.08.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 258/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण

दिनांक 29.07.2025 को वादी श्री शफीक अहमद पुत्र हाजी शौकीन निवासी मौ0 हजरतनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने अभियुक्तगण 1.कफील अहमद पुत्र अब्दुल गफ्फार 2.इकबाल पुत्र मुस्ताक अहमद निवासीगण मौ0 हजरत नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 3.मोहसीन पुत्र मौ0 अफजाल निवासी मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के मुर्गी फार्म से 03 बैटरी व 01 इन्वर्टर चोरी कर लेने के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 258/25 धारा 305(क) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।



थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त कफील अहमद व इकबाल उपरोक्त को पूर्व में ही चोरी की गयी 03 बैटरी सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है ।

### कार्यवाही विवरण –

आज दिनांक 12.08.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त मोहसीन पुत्र मौ0 अफजाल निवासी मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को चोरी किये गए एक इन्वर्टर सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोहसीन पुत्र मौ0 अफजाल निवासी मौ0 रविदास नगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### बरामदगी विवरण-

चोरी किया गया एक इन्वर्टर

### अभियुक्त मोहसीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0सं0 27/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 258/2025 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी मनोज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी नरेश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 4.आरक्षी अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।